

## प्रेस नोट दिनांक-07.10.2020

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में इनामी, फरार, मफरूर, टॉप-10 अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा वर्ष 2019 से पुरस्कार घोषित व फरार शातिर वाहन चोर, 10-10 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त 1. वंशीलाल विश्वकर्मा पुत्र बाबूलाल निवासी गोहटा थाना अतरैला जनपद रीवा म0प्र0 2. बबलू उर्फ विश्वदेव विश्वकर्मा पुत्र ओमप्रकाश उर्फ फूलचन्द्र निवासी पुरैनिया मजरा रौली थाना अतरैला जनपद रीवा म0प्र0 को गिरफ्तार करने में सफला प्राप्त की गयी।

आज दिनांक 07.10.2020 को चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा ग्राम पुरैनिया थाना अतरैला जनपद रीवा म0प्र0 से मु0अ0सं0 71/2019 धारा 41/411/413/467/468/471 भादवि0, मु0अ0सं0 125/19 धारा 379/411 भादवि0 तथा मु0अ0सं0 193/2020 धारा 379/411 भादवि0 के वांछित अभियुक्त वंशीलाल विश्वकर्मा एवं बबलू उर्फ विश्वदेव विश्वकर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर रामघाट सीतापुर से माह जनवरी 2019 में बुलेरो नं0 यूपी0 71एच 1414 को तथा मार्च 2019 में रामघाट से ही बुलेरो नं0 यूपी0 95 एफ 7142 चोरी की गयी थी। दिनांक 29.07.2020 को थाना बरगढ़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों के साथी महेश, अरविंद तथा भंवरदीन को गिरफ्तारी किया गया था जिनके कब्जे से उपरोक्त दोनों बोलरो तथा थाना बरगढ़ के मु0अ0सं0 71/2019 से सम्बन्धित मोटरसाइकिलें बरामद की गयी थी तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त वंशीलाल विश्वकर्मा एवं बबलू उर्फ विश्वदेव विश्वकर्मा उपरोक्त मौके से भाग गये थे। ये दोनों अभियुक्त वर्ष 2019 से लगातार फरार चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ये दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं।

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 71/2019 धारा 41/411/413/467/468/471 भादवि
2. मु0अ0सं0 125/19 धारा 379/411 भादवि
3. मु0अ0सं0 193/2020 धारा 379/411 भादवि

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
2. आरक्षी प्रकाश मिश्रा
3. आरक्षी श्यामू

(2). आज दिनांक 07.10.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नी के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती गिरजा देवी पत्नी अनन्दी प्रसाद निवासी पाली उपरहार थाना कौशाम्बी हाल पता- बरमबाबा का पुरवा मजरा मवई कला तहसील मऊ थाना मऊ द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष दिनांक 18.01.2020 प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति श्री अनन्दी प्रसाद द्वारा मारपीट की जाती है एवं दहेज की मांग की जाती है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी श्री बैजनाथ यादव तथा मुख्य आरक्षी अरुण कुमार व महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा श्रीमती गिरजा देवी की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर उसके पति श्री अनन्दी प्रसाद से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया तथा उसको समझाया गया। पति द्वारा भविष्य में विवाद न करने तथा अपनी पत्नी से दुबारा मारपीट तथा दहेज की मांग न करने की बात कही गयी। इस पर दोनों पक्षों में आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा दोनों पति-पत्नी को पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुधीर सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त काशी पुत्र श्यामलाल निवासी चितरा गोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी:-**

15 लीटर क्वार्टर देशी शराब

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 श्री सुधीर सिंह चौकी सीतापुर
2. आरक्षी शिवलाल
3. आरक्षी सोमदेव

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री फिरोज खान तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0स0 103/20 धारा 147/148/149/452/448/506 भादवि0 के वांछित अभियुक्त गुड्डू पुत्र मुन्ना कहार नि0 हरिहरपुर थाना भरतकूप चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 श्री फिरोज खान थाना भरतकूप
2. आरक्षी प्रशांत सिंह